संख्या- 1/2020/वे0आ0-1-312/दस-2020-1(एम)/2019

प्रेषक,

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक: 21 अप्रैल, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अंतर्गत अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2,41,83,000/- (रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिये श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्र0 सं0	मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये निवर्तन पर रखी जा रही स्वीकृत प्राविधानित धनराशि (लाख रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01- वेतन	158.22	158.22
2	03- मँहगाई भत्ता	37.97	39.56
3	04- यात्रा व्यय	1.00	1.00
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
5	06- अन्य भत्ते	4.00	4.00
6	07- मानदेय	1.10	1.10
7	08- कार्यालय व्यय	2.00	2.00
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.10	1.10
9	12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.30	0.30
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	7.00
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.20	0.20
13	26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	1.00	1.00
14	29- अनुरक्षण	0.60	0.60
15	42- अन्य व्यय	0.50	0.50
16	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
18	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**1.25**	**1.25**
20	49- चिकित्सा व्यय	**3.00**	**3.00**
21	51- वर्दी व्यय	**0.20**	**0.20**
22	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	--	--
23	55- मकान किराया भत्ता	**11.00**	**11.00**
24	56- नगर प्रतिकर भत्ता	**3.00**	**3.00**
25	58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**4.00**	**4.00**
	योग	**240.24**	**241.83**

(रूपये दो करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय निम्नलिखित मदवार फांट के अनुसार किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहॉ कहीं आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-1/2020/वे0आ0-1-312(1)/दस-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0एल0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।